

# कार्यालय, नगर पालिक निगम, कोरबा (छ.ग.)

फा.क./स्वच्छता/छ:/2022/269

टेंडर नं 105447

कोरबा, दिनांक 26.07.2022

## ई- निविदा आमंत्रण सूचना

कार्यालय नगर पालिक निगम, कोरबा द्वारा व्यवसाय से संबंधित अनुमती पंजीकृत फर्म/प्रदायकर्ता से ई-प्रोक्युरमेंट ( E-Tendering) के माध्यम से निविदाएं आमंत्रित की जाती है :-

| क  | कार्य का नाम                                                         | प्राक्कलन राशि | धरोहर राशि | कार्यावधि | निविदा खुलने की तिथि |
|----|----------------------------------------------------------------------|----------------|------------|-----------|----------------------|
| 1. | मच्छरों एवं मच्छरों के लार्वा के रोकथाम हेतु कीटनाशक दवा का छिड़काव। | 24.00 लाख      | 20,000/-   | 12 माह    | 17.08.2022 से ....   |

शर्त :-

1. जिन ठेकेदारों द्वारा नगर पालिक निगम के किसी ठेके के कार्य में अनुबंध के अनुरूप कार्य न किया गया हो अथवा नगर पालिक निगम के हित के विरुद्ध कार्य किया गया हो, उन्हें निविदा भरने की पात्रता नहीं होगी।
2. निविदा में भाग लेने वाले निविदाकार को फर्म का पंजीयन/गुमस्ता, यदि साझेदारी फर्म हो तो उसका प्रमाण पत्र (पार्टनरशिप डीड) की सत्य प्रतिलिपि, शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्था में कार्य करने का अनुभव, पिछले वित्तीय वर्ष का आयकर प्रमाण पत्र/पैन नं./जी.एस.टी. पंजीयन/धरोहर राशि ऑन - लाइन सबमिशन के माध्यम से करना होगा, तथा स्कैन कॉपी ऑन - लाइन सिस्टम में अपलोड करना होगा।
3. निविदा प्रपत्र अहस्तांतणीय होगा एवं सशर्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जावेगा अर्थात निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी।
4. निविदा के संबंध में किसी प्रकार की विवाद होने की स्थिति में आयुक्त का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।
5. निविदा स्वीकृत करने अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार नगर पालिक निगम के पास सुरक्षित होगा।
6. विस्तृत जानकारी नगर पालिक निगम साकेत भवन रामपुर, कोरबा के स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग से प्राप्त की जा सकती है।
7. बिना बताए निविदा स्वीकृत/अस्वीकृत या पूर्ण रूप से अमान्य करने का अधिकार सक्षम अधिकारी का रहेगा।

प्रतिलिपि :- प्रोग्रामर संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग नवा रायपुर (छ.ग.) को uad.cg.gov.in में अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित।

सहा. स्वास्थ्य अधिकारी  
नगर पालिक निगम,  
कोरबा (छ.ग.)

प्रतिलिपि-

प्रोग्रामर, संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, रायपुर को uad.cg.gov.in में अपलोड करने हेतु प्रेषित।

### Date-Time Detail(s)

| Seq.<br>No. | Nagar Nigam Stage | Contractor Stage | Start    |       | Expiry   |       | Remarks        |
|-------------|-------------------|------------------|----------|-------|----------|-------|----------------|
|             |                   |                  | Date     | Time  | Date     | Time  |                |
| 1           | Release Tender    |                  | 26.07.22 | 18.30 | 26.07.22 | 18.30 | Release Tender |
| 2           |                   | Bid Submission   | 26.07.22 | 18.30 | 16.08.22 | 17.30 |                |
| 3           | Tender Open       |                  | 17.08.22 | 10.30 | -        | --    |                |

  
**ASTT. HEALTH OFFICER  
KORBA (CG)  
For, Commissioner Korba (C.G.)**

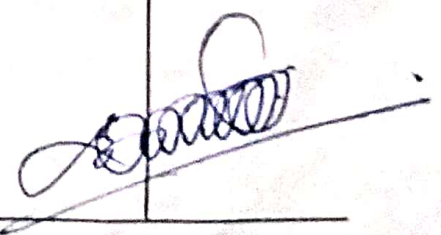
# OFFICE OF THE MUNICIPAL CORPORATION, KORBA (C.G.)

## ABSTRACT

मच्छरों एवं मच्छरों के लार्वा की रोकथाम हेतु कीटनाशक दवा का छिड़काव बाबत।

| No.                                                   | Quantity | Item of work                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Unit | Rate | Amount | Remarks |
|-------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------|---------|
| निगम क्षेत्र के सभी 08 जोन के 67 वार्डों में छिड़काव। |          | नगर पालिक निगम, कोरवा क्षेत्रांतर्गत लार्वा कन्ट्रोल तथा मच्छरों की रोकथाम हेतु चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, कीट नियंत्रण/कृषि विभाग एवं WHO द्वारा लार्वा कन्ट्रोल हेतु प्रमाणित कीटनाशक दवा प्रतिशत मानक के अनुरूप छिड़काव कार्यालय/प्रतिदिवस प्रत्येक जोन के 02 वार्डों की नाले/नालियों, गंदे पानी के भराव क्षेत्र, जलश्रोतों के किनारे लार्वा उत्पन्न होने वाले स्थानों, पर कीटनाशक दवा का छिड़काव का कार्य प्रति 15 दिवस (माह में 02 बार) निगम के सभी-वार्डों में एक राउण्ड का छिड़काव। यह कार्य प्रभारी अधिकारी, स्वच्छता निरीक्षक के निर्देशानुसार सप्ताह में न्यूनतम 06 दिवस किया जावेगा। |      |      |        |         |

अनुमानित व्य



# कार्यालय, नगर पालिक निगम, कोरबा (छ.ग.)

## कोरबा नगर में मच्छरों के रोकथाम हेतु उपायों की निविदा शर्तें

कोरबा शहर (नगर निगम सीमा) में मच्छरों की रोकथाम एवं लार्वा नियंत्रण हेतु संबंधित पंजीकृत फर्म/प्रदायकर्ता/ से निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा की शर्तें निम्न तरह की होगी।

1. निविदाकर्ता को मच्छर कंट्रोल कार्य करने का तकनीकी तथा व्यवसायिक ज्ञान के साथ शासकीय या अर्धशासकीय संस्था में मच्छर कंट्रोल हेतु लार्वा नाशक कार्य का अनुभव होना आवश्यक है।
2. निगम सीमा में लार्वा नाशक दवाई छिड़काने का कार्यक्रम निम्न तरह का रहेगा। पूरे सप्ताह में छः कार्य दिवस मानकर कार्य करना होगा। प्रतिदिन 10 ट्रेन्ड प्रशिक्षित कर्मचारियों को रखकर प्रत्येक जोन से 02 अथवा 03 वार्ड में छिड़काव कार्य पूर्ण करना होगा, तथा 01 दिन विशेष स्थलों की जांच एवं छिड़काव आदि किया जावेगा। इस प्रकार प्रति 15 दिवस (माह में 02 बार) निगम के सभी वार्डों में एक राउण्ड का छिड़काव किया जावेगा।
3. निविदाकर्ता को/निविदाकर्ता फर्म के अंतर्गत पंजीकृत होना आवश्यक होगा तथा निविदा पत्र के साथ अलग लिफाफे में पंजीयन पत्र की एक प्रति संलग्न करना होगा।
4. निविदाकर्ता को/निविदाकर्ता फर्म को अधिकृत अधिकारी से कीटाणु नाशक दवायें रखने अधिकृत लायसेंस धारक होना होगा।
5. निविदाकर्ता को निविदा शर्तों के अनुसार कोरबा नगर में मच्छर नाशक कार्य की एक कार्य योजना बनाकर प्रस्तुत करना होगा।
6. फर्म एवं सोसायटी एक्ट के अंतर्गत पंजीयन प्रमाण पत्र सत्यापित फोटोप्रति।
7. निविदाकर्ता के पास लार्वा कंट्रोल के छिड़काव कार्य हेतु कीटाणुनाशक दवायों के स्टॉक रखने के लिये लायसेंस की सत्यापित फोटोप्रति।
8. शासकीय या अर्धशासकीय संस्था में लार्वा नियंत्रण कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र सत्यापित फोटोप्रति।
9. कोरबा नगर निगम क्षेत्र में चलाये जाने वाली मच्छर नाशक कार्य की स्पष्ट कार्य योजना निविदा खुलने से पूर्व प्रस्तुत करना होगा, जिसमें कर्मचारियों की संख्या, उपयोग में लाई जाने वाली दवा की जानकारी पृथक- पृथक कार्यों के लिए देनी होगी।
10. कंडिका क्र. 09 की औपचारिकता पूर्ण होने के उपरांत पार्ट "A" दस्तावेज खोला जायेगा। दस्तावेज संतोषप्रद पाये जाने पर पार्ट "B" निविदा दर खोला जायेगा।
11. वर्तमान में मच्छरों की संख्या प्रकोप स्तर पर है। यह माप मच्छर कंट्रोल कार्यक्रम के शुरू होने के एक माह के अंदर किसी भी लार्वा उत्पन्न होने वाले स्थान 0-4 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तथा उपरोक्त मापदण्ड पूरे ठेके के समय तक के लिये बना रहना चाहिए।
12. प्रत्येक माह की ठेके की राशि का भुगतान मच्छर के लार्वा के घनत्व की जांच के उपरांत तथा उपरोक्त तरह बताये मापदण्ड के अनुसार होने पर दूसरे माह में किया जावेगा।
13. प्रतिमाह के देय से 10 प्रतिशत की राशि प्रतिमाह कटौती की जावेगी जो बिना ब्याज के ठेका समाप्ति के पश्चात् देय होगा।

14. लार्वा कंट्रोल में उपयोग किये जाने वाले कीटनाशक दवाई ISI मानक स्तर का हो, एवं राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम डेंगु नियंत्रण हेतु कीटनाशक तथा WHO द्वारा स्वीकृत हो। उपरोक्त केमिकलके अतिरिक्त किसी अन्य केमिकल के संबंध में कोई सुझाव हो तो उसका भी उल्लेख करें। लार्वा कंट्रोल हेतु कार्ययोजना बना कर प्रस्तुत करना होगा।
15. मच्छर कंट्रोल कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु ठेकेदार एवं उनके कर्मचारियों को निजी एवं सार्वजनिक भवनों, आवासों में जाकर पर्यवेक्षण एवं मच्छर नाशक उपाय करने की अनुमति होगी, जिसके लिये ठेकेदार एवं उसके कर्मचारियों को आवश्यक "आई कार्ड" (पहचान पत्र) अपने कर्मचारियों के लिये स्वयं के व्यय से बनाना होगा, तथा उस पर प्रमाण स्वरूप आयुक्त अथवा स्वास्थ्य अधिकारी नगर पालिक निगम, कोरबा के हस्ताक्षर होंगे।
16. मच्छर कंट्रोल उपाय करने के प्रत्येक माह के पश्चात् ठेकेदार द्वारा किये गये कार्य का पर्यवेक्षण स्वास्थ्य निरीक्षण, नगर पालिक निगम, कोरबा अपने – अपने क्षेत्र में करेंगे, तथा प्रतिवेदन देंगे। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य अधिकारी संबंधित वार्ड पार्षद, आयुक्त प्रभारी सदस्य जन स्वास्थ्य समिति, सभापति एवं महापौर महोदय जब चाहेंगे इस कार्य का पर्यवेक्षण अपनी संतुष्टि के लिये कर सकेंगे।
17. नियमित कार्य के अतिरिक्त आवश्यक होने पर किसी विशेष परिस्थिति में किसी विशेष स्थान पर मच्छर नाशक दवाईयों के छिड़काव के संबंध में दिये गये निर्देश अनुसार पालन ठेकेदार को करना होगा।
18. ठेकेदार को अपने कर्मचारियों को न्यूनतम "वेज एक्ट" के तहत वेतन देना होगा, एवं उन्हें आवश्यकतानुसार सुरक्षा उपकरण उपलब्ध करना होगा।
19. ठेकेदार स्वयं एवं उनका कोई जानकार प्रतिनिधि पर्यवेक्षण कार्य के समय निगम के अधिकारी/ पदाधिकारियों के साथ जब भी चाहा जाये उपलब्ध रहना पड़ेगा एवं जांच के दौरान पाये गये सभी शिकायतों का निराकरण कराना होगा।
20. ठेकेदार अपना निश्चित स्थान पर कार्यालय रखेगा जहा फोन सुविधा हो जहा संपर्क कर शिकायतें इत्यादि की जा सकें। ठेकेदार प्रतिदिन कार्यालय दिवस में अपना एक प्रतिनिधि स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में दोपहर 4:00 बजे से 5:00 बजे तक भेजकर उपस्थित रखेगा। जिससे कि कार्यालय में प्राप्त होने वाली शिकायतों का निराकरण किया जा सकें।
21. मच्छर कंट्रोल कार्यक्रम के तहत प्रथम कार्यादेश एक माह का होगा। एक माह पश्चात् भी लार्वा एवं मच्छर का घनत्व कंडिका 13 में दर्शाए मापदण्ड के अनुरूप काम नहीं होने की स्थिति में एवं कार्य संतोषजनक पाये पर आवश्यकतानुसार कार्यावधि में वृद्धि की जावेगी। निगम आयुक्त कभी भी ठेका रद्द कर सकते हैं।
22. ठेकेदार एवं निगम आयुक्त के मध्य किसी भी विवाद की स्थिति में निगम आयुक्त का निर्णय अंतिम होगा।
23. लार्वा कंट्रोल उपाय के लिये अनुबंध की अवधि वित्तीय वर्ष 2022 –23 तक के लिये रखी जाती है, परंतु इस अवधि में आवश्यकतानुसार संशोधन किया जा सकेगा, अथवा कम या ज्यादा किया जा सकेगा। कार्य संतोषजनक होने की स्थिति में दोनों पक्ष की सहमति से पूर्व अनुबंधों एवं शर्तों के तहत कार्य वृद्धि की जा सकती है।
24. निविदा दर स्वीकार के सूचना प्राप्ति के 03 दिवस के भीतर अनुबंध करना होगा। अनुबंध न करने या कार्य प्रारंभ न करने की स्थिति में आयुक्त नगर पालिक निगम, कोरबा द्वारा ठेका निरस्त किया जा सकेगा एवं अमानत राशि राजसात करने की कार्यवाही की जावेगी एवं नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।



(3)

25. कार्य में लापरवाही पाये जाने पर प्रतिदिन सामान्य कटौती अतिरिक्त 1000/- तक का अर्थदण्ड आरोपित किया जा सकता है, एवं लगातार कार्य मापदंड के अनुरूप न होने पर अनुपातिक रूप से कटौती के अतिरिक्त 1000/- से 5000/- तक का अतिरिक्त अर्थदण्ड आरोपित किया जा सकता है।
26. लार्वा कंट्रोल में कार्यरत समस्त कर्मचारियों की सुरक्षा की संपूर्ण जिम्मेदारी संबंधित ठेकेदार की होगी। यदि किसी भी प्रकार की दुर्घटना होती है, तो ठेकेदार का उत्तरदायित्व होगा।



सहा. स्वास्थ्य अधिकारी  
नगर पालिक निगम  
कोरबा (छ0ग0)